

## हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

महाविद्यालय / संस्था कोड  
 (जो कि बोर्ड द्वारा जारी किया गया है)  
 दूरभाष / मोबाइल नं०


शैक्षिक सत्र \_\_\_\_\_ के लिए D.Ed. की अस्थाई सम्बद्धता को  
 जारी (Continuation) रखने हेतु आवेदन-पत्र।

महोदय,

मैं अपने महाविद्यालय / संस्था की अस्थाई सम्बद्धता को जारी करवाने (Continuation) के लिए 50000/- रुपये बैंक ड्राफ्ट नं० \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_ बैंक का नाम \_\_\_\_\_ के माध्यम से भेज रहा हूं।

**For Office use only**

Amount of Draft		Amount	
Regd. Letter No.		Board's fee Receipt No.	
Date of Receipt of Form		Date of Receipt	
Signature		Cashier Signature	

- 1- महाविद्यालय / संस्था का नाम एवं पता \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_
- 2- जिला / तहसील व उपमण्डल का नाम  
 जहां संस्था स्थित है। \_\_\_\_\_
- 3- प्रबन्धक समिति का नाम  
 (पंजीकरण की सत्यापित फोटो प्रति संलग्न है) \_\_\_\_\_
- 4- एन सी टी ई / शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त  
 करने का पत्र क्रमांक एवं दिनांक  
 (मान्यता की सत्यापित फोटो प्रति संलग्न है) \_\_\_\_\_
- 5- पिछले वर्ष किस विश्वविद्यालय से सम्बद्धता  
 प्राप्त की गई। ( सम्बद्धता पत्र की सत्यापित  
 फोटो प्रति संलग्न है ) \_\_\_\_\_
- 6- संस्था राजकीय / अराजकीय / सहायता प्राप्त  
 \_\_\_\_\_
- 7- प्रविष्ट छात्रों की संख्या \_\_\_\_\_

महाविद्यालय / संस्था कोड


लगातार 2 पर

- 1— संस्था बोर्ड / शिक्षा विभाग द्वारा बनाए गए पाठ्यक्रम एवं परीक्षाओं से सम्बन्धित जो निर्देश समय समय पर जारी किये जाते हैं, उनकी दृढ़ता से पालन करेगी।
- 2— बोर्ड/शिक्षा विभाग की पूर्व स्वीकृति के बिना संस्था किसी भी स्तर पर पाठ्य योजना में किसी भी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन नहीं करेगी।
- 3— संस्था परीक्षाओं के संचालन के लिए अपनी संस्था का भवन /फर्नीचर एवं अपने स्टाफ की सेवाएं बोर्ड को उपलब्ध करवायेगी। बोर्ड द्वारा भवन एवं फर्नीचर का किराया आदि नहीं दिया जायेगा।
- 4— संस्था बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए बोर्ड को पूर्ण सहयोग देगी जिससे नकल/इम्परसोनेशन एवं अन्य अनियमितताओं पर पूर्ण नियन्त्रण किया जा सके।
- 5— संस्था का निरीक्षण बोर्ड द्वारा गठित कमेटी /नियुक्त अधिकारी द्वारा किया जा सकता है।
- 6— मैं बोर्ड द्वारा लगाये गए सभी नियमों का पालन करूंगा/करूंगी। संस्था द्वारा इन नियमों का पालन नहीं करने की अवस्था में बोर्ड को संस्था की सम्बद्धता रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।

मैं प्रमाणित करता/करती हूं कि उपरोक्त दी गई सूचना संस्था में उपलब्ध रिकार्ड अनुसार पूर्ण रूप से सत्य है एवं कोई तथ्य छिपाया नहीं गया। इस आवेदन—पत्र में दर्शाये गये उपरोक्त निर्देशों को मैंने ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है, इन्हे मैं स्वीकार करता/करती हूं।

प्राचार्य का पूरा नाम :—  
दूरभाष नं०/मोबाईल नं०:-

हस्ताक्षर(प्राचार्य)–  
संस्था की मोहर—

#### UNDERTAKING

I, undertake that the College/ Institution will strictly be abide by the rules and regulations/ instructions of the NCTE/Education Department/Board, extend its full co-operation in the conduct of examination, provide all information/record etc. for inspection as and when required by the Board/ Education Department/NCTE and in the event of its failure to comply with the instructions/ rules & regulations, the Board shall have the power to take suitable action against the College /Institution including disaffiliation of the College/ Institution.

Date :-

Principal  
Seal

नोट: 1—सम्बद्धता हेतु शुल्क का बैंक ड्राफट सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के पक्ष में बनवाकर भेजा जाये।  
2—सम्बद्धता आवेदन—पत्र पूर्ण रूप से भरकर सत्यापित करके सहायक सचिव (सम्बद्धता), हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी के नाम के बाल पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाए।